IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में आदिवासी महिला समूह सरपंचो की भूमिका

डॉ श्रीकांत प्रधान,

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), डॉ. खूबचंद बघेल शास.स्नातकोतर महा. भिलाई-3

सारांश - लोकतंत्र की आधारभूत मान्यता कि शासन में आधिकाधिक जन भागीदारी होनी चाहिए के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा बहुस्तरीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से आम जनता को सत्ता हस्तांतरण की अवधारणा द्वारा निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्ग को सहभागी बनाकर, राष्ट्रीय स्तर पर सहमति निर्माण कर सर्वोन्मुनमुखी विकास सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य से स्थानीय निकायों में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था संविधान में प्रावधानित है, जिसे 2008 में छत्तीसगढ़ में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है । किंतु इसके साथ स्थानीय निकायों में महिलाओं की अशिक्षा एवं गरीबी के कारण उनकी प्रभावशाली भूमिका की चुनौती खड़ी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला बस्तर के आदिवासी महिला सरपंचों की ग्राम पंचायत संचालन में भूमिका का व्यवहारपरक तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर पंचायत संचालन में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को जानकर समाधान हेतु सुझाव भी शोध पत्र में प्रस्तुत है।

परिचय - संविधान में बहुस्तरीय विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से आम जनता को सत्ता हस्तान्तरण की अवधारणा रखी गयी, जिसका उद्देश्य निर्णय की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को सहभागी बनाकर राष्ट्रीय सहमति का सर्वोन्नमुखी विकास सुनिश्चित करना है। इसलिए सत्ता की भागीदारी में पीछड़ गये वर्गों की पहचान कर उन्हें राजनीतिक एवं विकास संबंधी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का संकल्प लिया गया और तद्नुसार 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी संस्थागत स्थानीय शासन की संस्थाओं में विभिन्न पिछड़े-दलित वर्गो के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सत्ता के हर स्तर में उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा 1/3 आरक्षण पाकर महिलाओं की सत्ता में राजनीतिक भागीदारी तो सुनिश्चित हो गई जिसे 2008 में छत्तीसगढ़ में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

किंतु ये प्रश्न उभरते है कि **पंचायत्त संस्थाओं के संचालन में प्रभावशाली भूमिका निभा पाती है** ? अपने **पद संबंधी दायित्वों का कुशलता से निर्वाह कर पाती है** ? **अशिक्षा, गरीबी, रुढ़िवादी समाज, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव, जागरुकता की कमी आदि अनेक बाधाओं में महिलाएँ पंचायतों को कैसे चलाती होगी** ? क्योंकि देश के कुछ राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की ग्रामीण महिलाओं को न तो लिखा-पढ़ी, न ही हिसाब-किताब आती है, न ही वे अपने अधिकारों के बारे में जानती है और न ही सार्वजनिक स्थलों पर ठीक से बोल पाती है।

छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न और भी भयावह लगते है जहाँ **महिला साक्षरता मात्र 60.24%, ग्रामीण महिला साक्षरता 55.40%, आदिवासी क्षेत्र बस्तर जिले में महिला साक्षरता 36.85% और बस्तर**

IJFANS International Journal of Food And Nutritional Sciences

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

जिले की ग्रामीण अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता मात्र 31.74% है। (तालिका क्र.-1) पंचायत संचालन संबंधी प्रश्न और भी भयावह लगते है जब छत्तीसगढ़ में पंचायत निर्वाचन 2019-20 में 27 जिला पंचायत 146 जनपद पंचायत 11664 ग्राम पंचायत एवं 160725 वार्ड सदस्यों के निर्वाचन में में 60% से अधिक लाखों महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई हैं और इनमें से अधिकांश के समक्ष उपरोक्त समस्याएं बाधक के रूप में खड़ी हैं और उन्हें पंचायत चलाना है।

तालिका क्र.-1

क्र.	स्तर	पुरुष जनसंख्या	महिला	कुल	स्त्री पुरुष अनुपात	औसत साक्षरता	महिला साक्षरता	ग्रामीण महिला साक्षरता	ग्रामीण अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता
1	बस्तर जिला	413706	420669	834375	1017	53.15	43.49	36.85	31.74
2	छत्तीसगढ़	12832895	12712303	25545198	991	70.28	60.24	55.40	
3	भारत	623724248	586469174	1210569573	943	82.14	65.46		

शोध का उद्देश्य - छतीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है जिसके 13 जिले बस्तर, नरायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर,सुकमा ,सूरजपुर , बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा एवं जशपुर पूर्ण रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एवं 6 जिलों के कुछ विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। राज्य में कुल 146 विकासखंडों में आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85 है। इन क्षेत्रों के पंचायतों के सभी पद या अधिकांश पद जनजाति वर्ग एवं उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित रहते है। इस शोध कार्य का उद्देश्य इन्हीं आदिवासी महिला **पंचायत संस्थाओं के संचालन में** भूमिका का व्यवहारिक तथ्यात्मक अध्ययन कर उनके समस्याओं को समझना और समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध क्षेत्र - इस शोध का क्षेत्र छतीसगढ़ प्रदेश का जिला 'बस्तर' है, जो भारतीय संविधान के पाँचवी अनुसूची में आदिवासी जिला के रूप में अधिसूचित है। छतीसगढ़ में वर्ष 2019-20 के पंचायत चुनाव में बस्तर जिले के निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंचो के पंचायत संचालन संबंधी व्यवहार का सर्वेक्षणात्मक, तथ्यात्मक, विश्लेषणत्मक, व्यवहारपरक अध्ययन के लिए निदर्शन तकनीक, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण प्रणाली द्वारा तथ्य संकलित कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण काल 2019-20 के पंचायत चुनाव के एक वर्ष पश्चात 2021- 22 है।

शोध प्रविधियां - महिला सरपंचों की भूमिका संबंधी व्यवहारिक तथ्यात्मक अध्ययन के लिए निदर्शन तकनीक, साक्षात्कार अनुसूची एवं सर्वेक्षण प्रणाली द्वारा तथ्य संकलित कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बस्तर जिले के 14 जनपदों में कुल 655 ग्राम पंचायत है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सरपंच पदों की संख्या 224 है। इस शोध कार्य हेतु महिला सरपंच पद का 50% अर्थात 112 महिला सरपंचों का चयन विकासखण्डवार देव निदर्शन की लाटरी विधि से किया गया। निदर्श में शामिल महिला संरपंच वाले ग्राम पंचायतों का अध्ययन-सर्वेक्षण किया गया और महिला सरपंचों का साक्षात्कार लिया गया।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

साक्षात्कार अनुसूची में महिला सरपंचों के पंचायत संचालन संबंधी संबंधी प्रश्न- महिला सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति, व्यावसायिक संरचना, वार्षिक आय, महिला सरपंचों के राजनीतिक व्यवहार, पंचायत के सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न, ग्राम पंचायत के बैठकों के संचालन एवं ग्राम पंचायत के संचालन संबंधी विभिन्न प्रश्न शामिल थे। निदर्शन में शामिल महिला आदिवासी सरपंचों के पंचायत संचालन संबंधी व्यवहार पर साक्षात्कार के द्वारा संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की संख्या विकासखंड अनुसार (तालिका क्र.-2) में प्रदर्शित है -

तालिका क्र.-2

विकासखंड	**बस्तानार**	**तोकापाल**	**दरभा**	**लोहाण्डीगुड़ा**	**जगदलपुर**	**बकावंड**	**बस्तर**	**योग**
ग्राम पंचायत की संख्या	34	54	46	49	71	93	88	433
महिला आरक्षित ग्राम पंचायत की संख्या	17	26	23	25	36	47	44	218
निदर्श में शामिल महिला सरपंच की संख्या	9	13	12	13	18	24	22	111

परिकल्पना - बस्तर जिले के जनसांख्यिकीय 2011 के आंकड़ों के विश्लेषण पश्चात महिलाओं के शिक्षा एवं आय स्तर के न्यूनीकरण के कारण प्रस्तुत शोध पत्र में महिला आदिवासी सरपंचों के संबंध में निम्न परिकल्पनाएं की गई थी-

1. **अधिकांश महिला सरपंच ग्राम पंचायत की बैठकों** एवं **ग्राम पंचायत की बहस में भाग नहीं लेती होगी ।**
2. **ग्राम पंचायत संबंधी सभी फैसले लेने** एवं **ग्राम पंचायत के कार्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाते होंगे।**
3. **पंचायत के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अंगूठा लगाने का कार्य भी अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना सरपंचों की जानकारी के किया जाता होगा।**

शैक्षणिक स्थिति - भारत में स्त्रियों को लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रखना समाज एवं राष्ट्र के विकास को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। **बस्तर** जिले का **स्त्री - पुरुष अनुपात 1070** होने के बाद भी **ग्रामीण अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता शिक्षा स्तर (31.74%) निम्नतम** है। (तालिका क्र.-1) निदर्श में शामिल आदिवासी महिला पंचायत प्रतिनिधियों की शैक्षणिक स्थिति (तालिका क्र.-3) निम्नलिखित है-

तालिका क्र.-3

शैक्षणिक स्थिति	संख्या	%
निरक्षर	11	9.90
साक्षर	13	11.71
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त	23	20.72
माध्यमिक शिक्षा, प्राप्त	35	31.53
हाई स्कूल प्राप्त	19	17.11
हायर सेकेंडरी प्राप्त	9	8.10

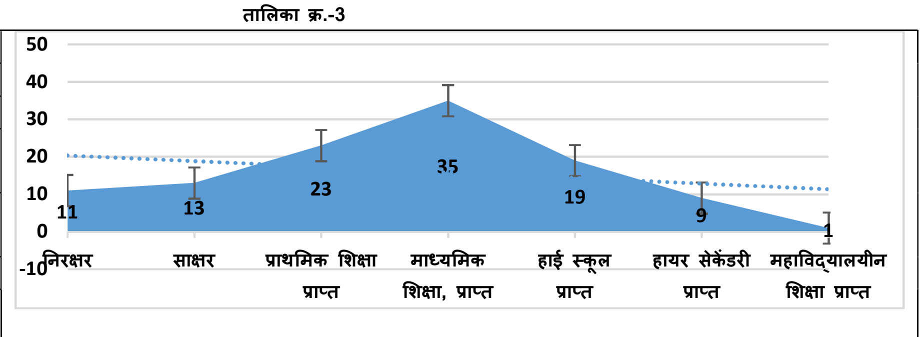

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त	1	0.90
योग	111	100

व्यक्ति की शिक्षा एवं आय आदि उसके सोच विचार को प्रभावित करती है, ऐसे में सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंच में से 11 (9.90%) निरक्षर, 13 (11.71%) साक्षर, 23 (20.72%) प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, 35 (31.53%) माध्यमिक शिक्षा, प्राप्त 19 (17.11%) हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त, 9 (8.10%) हायर सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त एवं 01 (0.9%) महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त है। निरक्षर साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त सरपंचों की कुल संख्या 47 है जो निदर्शन का 42.3% होता है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 35(31.53%) है एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त सरपंचों की संख्या 26 (23.46%) है। **संस्थागत नेतृत्व की दृष्टि से मात्र एक 1/4 ही शिक्षित** मानी जा सकती है, शेष **3/4 महिला सरपंचों का शिक्षा स्तर संस्थागत नेतृत्व की दृष्टि से अत्यल्प** है।

व्यवसायिक संरचना - कार्ल मार्क्स 'आर्थिक कारक' को अन्य दशाओं को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली कारक मानता है। निदर्शन में शामिल आदिवासी महिला सरपंचों के व्यवसाय संबंधी आंकड़े तालिका क्र. 7 में उल्लेखित हैं।

तालिका क्र.-7

व्यवसाय	संख्या
कृषि	91
मछली पालन	05
सुअर पालन	59
वनोपज संग्रह	09
बांस के बर्तन एवं टोकरी निर्माण	86
पशुपालन	07
मुर्गीपालन	22
परचून की दुकान	11
अन्य व्यवसाय	09

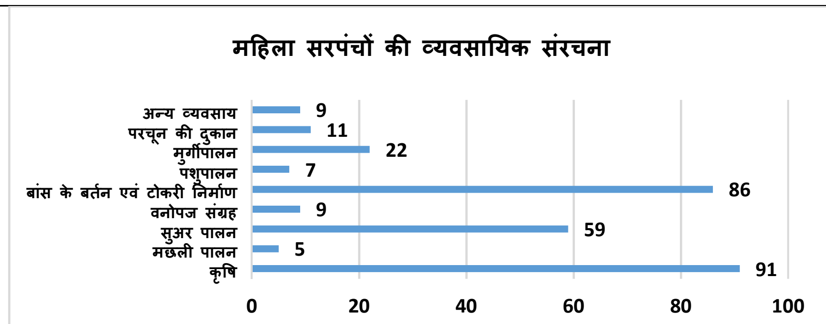

तालिका में उल्लेखित तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि **91** आदिवासी महिला सरपंच कृषि एवं उससे जुड़े अन्य प्राथमिक व्यवसायों विशेष रूप से मुर्गी पालन, वनोपज संग्रह, सुअर पालन, बकरी पालन, पशुपालन, बांस के बर्तन एवं टोकरी निर्माण एवं मछली पालन में संलग्न है जबकि द्वितीय व्यवसाय के रूप में परचून की दुकान में मात्र **11** एवं **अन्य व्यवसाय** में **09** महिला सरपंच ही संलग्न हैं। वर्ष भर प्राथमिक व्यवसाय कार्य में संलग्नता के कारण वार्षिक आय स्तर भी बहुत कम है।

सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की वार्षिक आय (रूपये में)- आय व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की **आय संरचना** संबंधी आंकड़े तालिका क्र. 4 में उल्लेखित हैं।

तालिका क्र.-4

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

वार्षिक आय (रूपये में)	संख्या	%
गरीबी रेखा (1,059.42 रुपये प्रति माह) के नीचे	23	20.72
12000 से 20000 तक	9	8.10
21000 से 30000 तक	23	20.72
31000 से 40000 तक	34	30.63
41000 से 50000 तक	21	18.91
51000 से अधिक	1	0.9
योग	111	100%

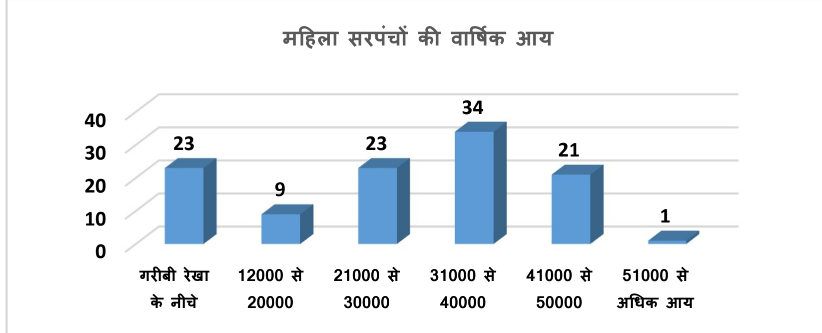

विश्लेषण करने पर गरीबी रेखा (1,059.42 रुपये प्रति माह) के नीचे जीवन यापन करने वाले सरपंचों की संख्या 23(20.72%), 12000 से 20000 तक 9(8.10%),21000 से 30000 तक 23(20.72%), 31000 से 40000 तक 34(30.63%), 41000 से 50000 तक 51(45.94%) एवं 51000 से अधिक आय वाले सरपंच की संख्या मात्र 1(0.9%) है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकाधिक सरपंच गरीब परिवार से है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तथ्य ये भी बताते है कि एक चौथाई महिला प्रतिनिधि गरीबी रेखा के निचे या उसके आस-पास जीवन व्यतित करते है। सामाजिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार नेतृत्व करने वाले की गरीबी उसके व्यक्तित्व संवर्धन एवं प्रभुत्ता के मार्ग में बाधक होती है तथा यह उसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्षेत्र को साधने के लिए विपरित परिस्थिति निर्मित करती है।

(1) महिला सरपंचों का राजनीतिक व्यवहार - शिक्षा, आय, जागरूकता के अनुरूप व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति, नेतृत्व प्रदर्शित करता है। इसी तरह राजनीतिक व्यवहार में राजनीति एवं सत्ता में भागीदार समूह के राजनीतिक विचारों, विचारधारा, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक समझ, सार्वजनिक मुद्दों पर विचार प्रकटीकरण करने आदि के आधार पर राजनीतिक शासन सत्ता आदि में संस्थागत नेतृत्व करने में उनके व्यक्तित्व एवं भूमिका का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक व्यवहार से संबंधित - राजनीति या सरपंच बनने के उद्देश्य, सरपंच बनने के पिछे निहित कारण, स्वेच्छा/दबाव से सरपंच बनने, राजनीति में पहली बार आने / पहली बार सरपंच बनने, राजनीतिक पार्टी से जुड़ने एवं बैठकों में नियमित रूप से शामिल होने, राजनीतिक दलबंदी या विरोध से / पंचों के राजनीतिक दल से जुड़ने से ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित होने ,राजनीतिक दलबंदी से गांव वासियों का साहचर्य प्रभावित होने आदि प्रश्नों को साक्षात्कार अनुसूची में शामिल कर साक्षात्कार सर्वेक्षण के माध्यम से महिला आदिवासी महिला सरपंचों के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया है।

(1.i) महिला सरपंचो के उद्देश्य- आदिवासी महिला सरपंच के पास अपने गांव के विकास से संबंधित क्या उद्देश्य या योजनाएं थी, गांव के समस्याओं एवं समाधान की क्या जानकारी रखती हैं? सरपंच पद पर निर्वाचन पूर्व आदिवासी महिलाओं के क्या उद्देश्य रहे होंगे, सरपंच बनने के

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

बाद में उनके क्या उद्देश्य रहे या उसमें परिवर्तन आए? इस प्रश्न का जवाब विवरणात्मक था। महिला सरपंचों से प्राप्त उत्तर का तथ्यात्मक विश्लेषण निम्नानुसार हैं-

जन सेवा- उत्तरदाता महिला सरपंचों में से 81(72.97) प्रतिशत सरपंचों का कहना है कि वे जनता की सेवा करने के लिए सरपंच बनी है।

पूर्व सरपंच के प्रभुत्व को चुनौती- उत्तरदाता महिला सरपंचों में से 17 (15.31%) सरपंचों का कहना है कि उनके गांव में प्रभुत्व जमा कर बैठे पूर्व सरपंच को हटाने के लिए सरपंच बने हैं ।

अर्थोपार्जन- महिला सरपंचों में से 14(12.61%) प्रतिशत ऐसी हैं जिन्होंने बताया कि वे पैसा कमाने के उद्देश्य से सरपंच बनी है।

गांव का विकास- 39(35.13%) सरपंचों का मानना है कि वे अपने गाँव के विकास करने के उद्देश्य से सरपंच बनी है तथा अपने कार्यकाल में गाँव में बिजली, सड़क, नाली का आदि का निर्माण करेंगी।

नक्सली समस्या को कम करना- बीहड़ क्षेत्र के 17 (15.31%) सरपंच नक्सलवाद के प्रभाव को कम करना भी अपना उद्देश्य बताती हैं।

शासकीय सेवाओं का समुचित क्रियान्वयन- उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में **या** पूर्व सरपंचों के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सम्पन्न वर्ग द्वारा ले लेने तथा कमजोर वर्ग को लाभ नहीं मील पाने के कारण 50 (45.04%) महिला सरपंच सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के उद्देश्य से सरपंच बनी हैं।

महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण- एक महिला जनप्रतिनिधि ही महिला की बात अच्छी तरह से समझ सकती है। इसलिए 13 (11.71%) महिला सरपंच का मानना है कि महिला विकास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सरपंच बनी है।

रोजगार मुहैया कराना - वर्ष भर रोजगार की कमी आदिवासियों की प्रमुख समस्या है और उत्तरदाता सरपंचों में से 10(9%) सरपंच इसलिए बनी है ताकि ग्रामीण युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर मुहैय्या करा सके।

महिलाओ को बराबरी का अधिकार- महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने एवं समाज में महिला-पुरुष को बराबरी के आधार पर देखे जाने के उद्देश्य से सरपंच बनने वाले सरपंचों की संख्या 24 (21.62%)हैं।

ग्रामीणों की समस्यायों के निराकरण- निदर्श में से 20 (18.01%) सरपंचों का मानना है कि वे ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु सरपंच बनी है।

उद्देश्यहिन- बिना किसी उद्देश्य के सरपंच बने वाले महिला सरपंचों की संख्या 34 (30.63) है, परंतु अब वह कुछ निश्चित उद्देश्यों पर कार्य कर रही हैं।

(1.ii) सरपंच बनने के पिछे निहित कारण - महिलाओं का सामाजिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक कारगर कदम है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं परिवार एवं

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

समाज में अत्यधिक संवेदनशील होती है, अतः महिलाएँ यदि जनप्रतिधित्व का पद संभालती है तो सिद्धान्ततः वह लोगों के साथ पुरुषों की तुलना में अधिक न्याय करेंगी।

तालिका क्र.-5

सरपंच बनने के कारण	महिला सरपंचों की संख्या	
	संख्या	%
बेरोजगारी	30	27.07
दूसरे के कहने पर	16	14.41
राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के कारण	18	16.21
आजीविका के रूप में के रूप में	15	13.51
बिना किसी योजना के	32	28.82
योग	111	100

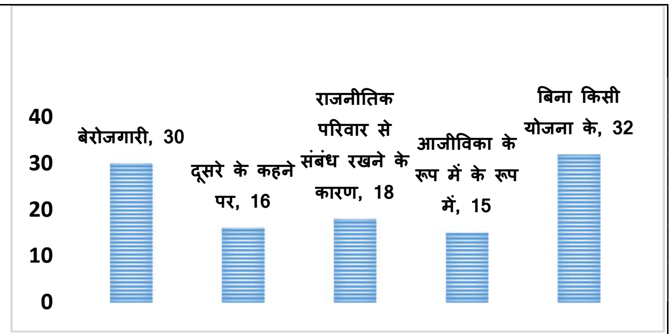

तालिका 5 के अनुसार राजनीति में आने का कारण या सरपंच बनने के पिछे निहित कारण में **30 (27.07%) बेरोजगारी** के कारण, **16 (14.41%) दूसरे के कहने पर**, **18 (16.21%) राजनीतिक परिवार से संबंध** रखने के कारण, **15 (13.51%), आजीविका** के रूप में के रूप में एवं **32 (28.82%) बिना किसी योजना** के सरपंच बन गए। बेरोजगारी, दूसरे के कहने पर एवं बिना किसी योजना के सरपंच बनने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 78 (70.27%) है जो कुल उत्तरदाताओं का लगभग 1/4 होता है।

(1.iii) आप सरपंच स्वेच्छा से / पहले सरपंच बनने की इच्छा नहीं थी किंतु किसी के कहने या **समझाने पर / दबाव पर बनी से बनी हैं**? के प्रश्न के उत्तर में स्वेच्छा से सरपंच बनने वाली आदिवासी महिला सरपंचों की संख्या मात्र 9(8.10%) है, पहले ना किंतु किसी के कहने / समझाने पर सरपंच बनने वाले महिला आदिवासी सरपंचों की संख्या 68 (61.26%) है और किसी के दबाव में आकर सरपंच बनने वाले महिला सरपंचों की संख्या 29 (26.12%) है। **दबाव में आकर सरपंच बनी हैं तो किसके दबाव में आकर सरपंच बने हैं** ? - के प्रश्न के जवाब में 18 (62.08%) पति के दबाव में, 6 (20.68%) पुत्र या पुत्री के दबाव में , 4 (13.79%) माता-पिता के दबाव में एवं 1(3.79%) अन्य किसी के दबाव में आकर सरपंच बनी है। यदि पहले सरपंच बनने की इच्छा नहीं थी किंतु किसी के **कहने** या समझाने पर सरपंच बनने वाले महिला आदिवासी की संख्या एवं दबाव में आकर सरपंच बनने वाले महिलाओं की संख्या को जोड़ दें तो यह 102(91.89%) हो जाता है क्योंकि इन्हें भी समझाने के लिए दबाव आया ही होगा।

(1.iv) राजनीति में या सरपंच पद में पहली बार आई या पहले से थी? इस प्रश्न के उत्तर में राजनीति या सरपंच पद पर पहली बार आने वाली महिला सरपंचों की संख्या 98 (88.28%) एवं पहले से राजनीति में सक्रिय थी या सरपंच पद पर निर्वाचित होने वाली महिलाओं की संख्या 23 (20.72%) है। यदि सरपंच पद पर पहले भी रही हैं तो कितनी बार ? 12 (52.17%) महिला सरपंच एक बार, 8 (34.78%)%) महिला सरपंच दो बार, 2 (8.69%) महिला सरपंच तीन बार,

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

चार या चार से अधिक बार सरपंच पद पर निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या निरंक है । राजनीति एवं शासन में नेतृत्व की दृष्टि से अधिकांश 98(88.28%) महिला सरपंच अनुभवहीन है। **दुबारा सरपंच चुनाव लड़ने के प्रश्न** पर **103 (92.79%) महिला सरपंचों नें हां** कहा जबकि **8 (7.20%)** ने **नहीं** में जवाब दिया है। किंतु **भविष्य में सरपंच से बड़े पद पर चुनाव लड़ने** के लिए केवल **67 (60.36%) आदिवासी महिला सरपंच तैयार** हैं और 44 (39.63%) महिला सरपंच, सरपंच से बड़े पद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 44 महिला सरपंच में से 22 महिला सरपंच धन की कमी, 16 महिला सरपंच कम पढ़ी-लिखी होने के कारण ऊपर 6 महिला सरपंच घरेलू जवाबदारियों के कारण **सरपंच से बड़े पद पर चुनाव नहीं लड़ना** चाहते ।

(1.v) सरपंचों को राजनीतिक दलों से जुड़ना चाहिए? इस प्रश्न पर 57 (51.35) महिला सरपंच का मानना है कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना चाहिए एवं 54 (48.64) प्रतिशत महिला सरपंचों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियों से नहीं जुड़ना चाहिए। **क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं ?** इस प्रश्न पर महिला सरपंच राजनीतिक 27(24.32) महिला सरपंच राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं जबकि 84(75.67%) महिला सरपंच किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। **राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले मात्र 03 महिला सरपंच राजनीति पार्टियों की बैठक** और सभा में जाते हैं शेष 24 महिला सरपंच नहीं जाते। इसका सीधा सा अर्थ है 24 महिला सरपंच राजनीतिक पार्टियों से किसी कारण से जुड़ तो गए हैं किंतु उनकी पार्टी गतिविधियों में सहभागिता शुन्य है।

राजनीतिक दल बंदी या विरोध से या पंचों के राजनीतिक दल से जुड़ने से ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित होता है ? इस प्रश्न पर 12 (10.81%) महिला सरपंच मानती हैं कि इससे ग्राम पंचायत के कार्य एवं गांव का विकास प्रभावित होता है जबकि 99 (89.19%) महिला सरपंचों का मानना है कि इससे गांव का विकास एवं ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित नहीं होता। **राजनीतिक दलबंदी से गांव वासियों का सहचार्य प्रभावित होता है?** के प्रश्न पर 52 (46.86%) महिला सरपंचों का मानना है कि राजनीतिक दल बंदी से गांव वासियों का सहचार्य प्रभावित होता है जबकि 59 (53.15%) का मानना है इससे गांव का सहचार्य प्रभावित नहीं होता।

बस्तर जिले की आदिवासी महिला सरपंच शक्ति प्राप्ती की होड़ में शामिल है। अधिकांश महिला सरपंचों ने पंचायती राजनीति में शामिल होने का कारण पूछने पर महिलाओं, बच्चों का विकास, गाँव का विकास, सरकारी योजना का ग्रामीण जनता को लाभ दिलाना आदि बताया। इस प्रकार का जवाब उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। मगर इतना पर्याप्त नहीं है। बस्तर जिले की अधिकांश महिला सरपंच निरक्षर या अल्प शिक्षित है। इनमें से अधिकांश ने सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के जिम्मेदारी का वहन नहीं किया है, अतः उनका राजनीतिक व्यवहार पेशेवर प्रतिनिधियों की तरह नहीं है। बस्तर के इन महिला सरपंचों के 'घर की चौखट से पंचायती राज के मंच तक के सफर का व्यवहारिक मूल्यांकन करने पर हम पाते है कि राजनीतिक संस्कारण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सभाजीकरण एवं राजनीतिक विकास जैसे पहलुओं पर

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

इनके राजनीतिक व्यवहार के लिए कुछ तथ्य उत्तरदायी है: (1) बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक किसी पुरुष के संरक्षण में ही सुरक्षित रह सकने की हीन भावना ने इन प्रतिनिधियों के स्वतंत्र राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित किया है। (2) अधिकांश महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है, पैतृक एवं ससुराल की संपति पर पित्ता एवं पति के जीवित रहते उनका अधिकार नहीं रहत्ता, अत्तः कमजोर आर्थिक स्थिति भी उनके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। (3) स्त्रीत्व एवं सतीत्व के महिमा मंडन की प्रवृत्ति व धार्मिक आडम्बरों ने इन्हें धर्मभीरु बना दिया है। इससे उनके स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण में बाधा पहुंचती है, जो उसे राजनीति में सफल नहीं होने देती। (4) निरक्षर एवं अल्पशिक्षित होने के कारण उन्हें पंचायती राज के प्रावधानों तथा अपने राजनीतिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती, अत्तः इससे भी उनका राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होता है। (5) पुरुष प्रधान समाज का दृष्टिकोण महिला सरपंचों को लेकर रुढ़िवादी है। (6)आरक्षण के कारण महिला सीट होने से कुर्सी पर बैग व्यक्ति बदल गया है, परन्तु उनके अधिकारों का प्रयोग ज्यादातर पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, इससे भी उनका राजनीतिक व्यवहार प्रभावित हो रहा है। (7) महिला सरपंच पुरुष सरपंचों की तुलना में शक्ति प्राप्त कर दुसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की चेष्टा कम ही करती है। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का उनका लक्ष्य नहीं होता। निष्कर्षतः हम कह सकते है कि महिला सरपंचों का राजनीतिक व्यवहार विशेष संतोषजनक नहीं है जबकि ग्राम पंचायत की बैठक तथा पंचायत के संचालन में उनकी भागीदारी व सफल नेतृत्व इस राजनीतिक व्यवहार पर निर्भर करती है।

(2) ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण - पंचायत के सशक्तिकरण पर आदिवासी महिला सरपंचों के विचारों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ग्राम पंचायत की व्यवहारिक कार्य प्रणाली से सरपंच ही रूबरू रहते हैं।

पंचायत के सशक्तिकरण को लेकर **प्रश्न** कि **ग्राम पंचायत के वर्तमान स्वरूप में ग्राम स्वराज स्थापित है ? के प्रश्न** पर 86 (77.47%) महिला सरपंच मानती हैं कि शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना ग्राम पंचायत के वर्तमान स्वरूप में ग्राम स्वराज स्थापित नहीं हो सकता जबकि 25 (22.52%) महिला सरपंच का मानना है कि ग्राम पंचायत के रूप में आज गांव गांव में ग्राम स्वराज स्थापित है।

ग्राम पंचायत द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझा पाने के प्रश्न पर 102 (91.89%) महिला सरपंच मानती है कि ग्राम पंचायतें लोगों की समस्याओं को सुलझा पाती हैं जबकि 09 (8.10%) महिला सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायतें गांव के लोगों की सभी समस्याओं को सुलझा नहीं पाती।

ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से होता है के प्रश्न पर मात्र 42 (37.83%) सरपंच हां कहती है जबकि 79 (71.17%) महिला सरपंच का मानना है कि शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतें सक्षम नहीं है।

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

ग्राम सभा की नियमित बैठकों के आयोजन संबंधी प्रश्न पर 107 (96.39%) महिला सरपंच कहती हैं कि बैठकें नियमित तो होती है किंतु उपस्थित ग्राम वासियों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि 04 (3.6%) सरपंच इस तरह की बैठकों पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर करती हैं।

ग्राम पंचायतें अपने वर्तमान स्वरूप में सुदृढ़ है या नहीं के प्रश्न पर 37(33.33%) महिला सरपंच ग्राम पंचायत को सुदृढ़ मानती है जबकि 74 (66.66%) महिला सरपंच ग्राम पंचायत को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बताती हैं और इस हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करती है।

(3) ग्राम पंचायत की बैठकों में महिला सरपंचों की भागीदारी:- ग्राम पंचायत के सभी बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत की प्रभावशीलता भी सरपंच के सक्रियता जागरूकता सहभागिता पर निर्भर करती है।

ग्राम पंचायत के सभी बैठकों में भाग लेती है ? इस प्रश्न पर महिला आदिवासी महिला सरपंचों से प्राप्त जवाब तालिका क्र 6 में आंकड़ेबद्ध है-

तालिका क्र 6

शैक्षणिक स्थिति	संख्या	सभी बैठकों में भाग लेने वाली महिला सरपंचों की संख्या	कभी-कभी भाग लेने वाले सरपंचों की संख्या	ग्राम पंचायत की बैठक में भाग नहीं वाले सरपंचों की संख्या	विकासखंड	निदर्श में शामिल महिला सरपंच की संख्या	सभी बैठकों में भाग लेने वाली महिला सरपंचों की संख्या	कभी-कभी भाग लेने वाले सरपंचों की संख्या	ग्राम पंचायत की बैठक में भाग नहीं वाले सरपंचों की संख्या
निरक्षर	11	3	6	2	बस्तानार	09	4 (44.44)	4	1
साक्षर	13	6	5	2	तोकापाल	13	4 (30.76)	5	4
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त	23	9	9	5	दरभा	12	5 (41.66)	4	3
माध्यमिक शिक्षा, प्राप्त	35	14	16	5	लोहाण्डीगुड़ा	13	7 (53.84)	4	2
हाई स्कूल प्राप्त	19	14	2	3	जगदलपुर	18	10(55.55)	8	0
हायर सेकेंडरी प्राप्त	9	6	2	1	बकावंड	24	10(41.66)	10	4
महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त	1	1	0	0	बस्तर	22	13(59.09)	5	4
	111	53(47.74%)	40(36.03%)	18(16.21%)		111	53(47.74%)	40(36.03%)	18(16.21%)

तालिका का विश्लेषण करें तो ग्राम पंचायत के सभी बैठकों में भाग लेने वाली महिला सरपंचों की संख्या मात्र 53 (47.74%) जबकि कभी-कभी भाग लेने वाले सरपंचों की संख्या 40 (36.03%) है किंतु 18 (16.21%) महिला सरपंच ऐसे हैं जो कभी ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। विकासखंडवार देखेंगे तो ग्राम पंचायत की सभी बैठकों में शामिल होने वाले महिला सरपंचों का सबसे उच्च दर 59.99% वाला विकासखंड बस्तर(13/22) है जबकि सबसे कम दर 30.76% वाला विकासखंड दरभा (5/12) है। तालिका का विश्लेषण करने से शिक्षा स्तर एवं ग्राम पंचायत की बैठक में महिला सरपंचों की भागीदारी का सीधा संबंध स्पष्ट नजर आता है। निरक्षर महिला सरपंचों में से मात्र 23.07%, प्रतिशत साक्षर में 40.15%, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त में 39.13% माध्यमिक शिक्षा प्राप्त में 40%, हाई स्कूल में 73.68%, प्रतिशत एवं

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

हायर सेकेंडरी में 66.66%, प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा प्राप्त में शत प्रतिशत महिला सरपंच ग्राम सभा की बैठकों में सभी बैठकों में नियमित रूप से शामिल होती है।

ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल नहीं होने और कभी-कभी शामिल होने वाले सरपंचों से प्रश्न कि उनके जगह पर बैठक कौन करवाता है ? इस प्रश्न पर 52 (76.47%) महिला सरपंचों का कहना है उनके पति या पुत्र द्वारा बैठक का आयोजन करवाया जाता है जबकि 11 (16.17%) महिला सरपंच कहते हैं कि उप सरपंच बैठक करवाता है एवं 5 (7.35%) महिला सरपंच स्वीकार करती हैं कि उनके ग्राम पंचायत की बैठक सचिव द्वारा करवाया जाता है।

***उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से मेरी परिकल्पना कि ग्राम पंचायत की बैठकों में अधिकांश महिला सरपंच भाग नहीं लेती होगी, सही साबित हो**ता **है**।

ग्राम पंचायत की बैठक में अकेली जाती है या किसी के साथ ? ग्राम पंचायत की बैठक में अकेले जाने वाले महिला सरपंचों की संख्या मात्र 07 (6.30%) है जबकि किसी के साथ जाने वाले महिला सरपंचों की संख्या 104 (93.69%) है। **किसी के साथ ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल होती है तो किसके साथ ?** इस प्रश्न पर ग्राम पंचायत की बैठक में पति के साथ शामिल होने वाली महिला सरपंचों की संख्या 102 (91.89%), पुत्र या पुत्री के साथ शामिल होने वाले महिला सरपंचों की संख्या 4 (3.84%), माता या पिता के साथ शामिल होने वाली महिला सरपंचों की संख्या 2(1.92%), भाई या बहन के साथ शामिल होने वाली महिला सरपंचों की संख्या 1 (1.92%) और अन्य के साथ शामिल होने वाले महिला सरपंचों की संख्या 2 (3.84%) है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में महिला सरपंचों की भागीदारी होती जरूर है, क्योंकि सरपंच होने के नाते बैठकों की अध्यक्षता उन्हें करनी पड़ती है, मगर चूंकि अधिकांश महिला सरपंच न्यून शिक्षित या निरक्षर है, अतः जागरूकता के अभाव में मुखर नहीं होती। बहुधा सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्य उनके साथ छाया की तरह लगे होते है। जिन महिला सरपंचो की शिक्षा कम है, उनकी पंचायत की बैठकों में उपस्थिति कम है तथा जिनकी शिक्षा अच्छी है उनकी बैठकों में उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक है। शिक्षित महिला सरपंचों की बैठकों की बहसों में भागीदारी अधिक होती है, जबकि निरक्षर महिला सरपंचों बैठक में कम ही बोल पाती है। गांव के अवसरवादी पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा निरक्षर महिला सरपंचों को आसानी से गुमराह कर दिया जाता है, शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उन्हें नहीं होती।

(4) **महिला सरपंचो द्वारा पंचायत संचालन** - जब भारत गुलाम था, तब कुछ खास शर्तों को पुरा करने वाला व्यक्ति ही वोट दे सकता था। तब राजनीतिक परिदृश्य से स्त्रियाँ गायब थीं- जैसे बम्बई ग्राम पंचायत कानून 1920 में स्त्रियों के निर्वाचन पर प्रतिबंध था, गाँव के वयस्क पुरुष सदस्य ही निर्वाचित हो सकते थे। स्त्रियों को वैधानिक राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान में दिया गया था, पर व्यवहारिक धरातल में उनकी उपस्थिति नगण्य थी। संविधान के 40-42 वर्ष उपरान्त 73 वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को बहुप्रतिक्षित अवसर मिला जिससे वे राजनीतिक अधिकारों द्वारा अपने आस-पास के समुदाय की निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

हिस्सेदारी कर सकें। पंचायती राज के इस नये दौर में बस्तर जिले की आदिवासी महिला सरपंच स्थानीय समुदाय की प्रवक्ता बनकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जमीनी अर्थ प्रदान कर रही हैं। पुराने मिथक अब टूट रहे हैं कि महिलाएँ पंचायत के काम-काज में भाग नहीं ले सकेंगी। महिलाएँ सरपंच के रूप में पंचायत संचालन एवं सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। प्रारंभ में महिलाएँ सरपंच जैसे प्रमुख पद पर कार्य करने में हिचकिचाती थी एवं इसका लाभ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उठाया जाता था। परन्तु अब स्थिति में धीरे-धीरे ही सही, परिवर्तन हो रहा है। भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में महिला सरपंचों की कार्यकुशलता अलग-अलग है।
निम्नलिखित प्रश्नों के द्वारा ग्राम पंचायत संचालन संबंधी बस्तर जिले के निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंचो के व्यवहारिक आंकड़े तालिका क्र. में प्रस्तुत हैं -

प्रश्न	हां	नहीं
महिला सरपंच के रूप में पंचायत संचालन में कठिनाई होती है?	108 (97.29%)	03 (2.70%)
आप पंचायत सभा में बोलने से घबराती हैं?	101(90.99%)	10(9%)
आप पंचायत का रिकार्ड संधारित कर लेती हैं?	107 (96.39%)	04 (3.60%)
आप पंचायत के आय-व्यय का हिसाब कर लेती हैं?	01 (0.9%)	110 (99.09%)
आप जनपद पंचायत / उच्च कार्यालय / विभिन्न विभागों में पंचायत संबंधी कार्य करा लेती हैं?	43 (38.73%)	68 (61.26%)
आप जनपद पंचायत / उच्च कार्यालय / विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाने से डरती हैं?	98 (88.28%)	13 (11.71%)
महिला सरपंच को क्या अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलता है ?	18 (16.21%)	93 (83.78%)
पंचायत चलाने में क्या पंचायत के अन्य प्रतिनिधि सहयोग करते हैं?	18 (16.21%)	93 83.78 %)

***उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से मेरी परिकल्पना कि ग्राम पंचायत की बैठकों में अधिकांश महिला सरपंच ग्राम पंचायत के बहस में भाग नहीं लेती होंगी, सही साबित होता है।**

ग्राम पंचायत के सभी फैसले आप स्वयं लेती हैं या किसी के सलाह पर कार्य करती हैं? इस इस प्रश्न पर 110 (99.09%) महिला सरपंचों का कहना है कि वह अपने पति या पुत्र से सलाह से ग्राम पंचायत के फैसले लेती हैं जबकि स्वयं फैसले लेने वाली महिला सरपंचों की संख्या मात्र 01(0.91%) है।
***उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से मेरी परिकल्पना कि ग्राम पंचायत संबंधी सभी फैसले लेने** एवं **ग्राम पंचायत के कार्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाते होंगे, सही साबित होता है।**

पंचायत के दस्तावेजों पर आप स्वयं हस्ताक्षर करती / अंगूठा लगाती हैं या कोई अन्य भी हस्ताक्षर / अंगूठा लगा देता है ? इस प्रश्न पर 04 (3.60%) महिला आदिवासी महिला सरपंच स्वयं हस्ताक्षर करती या अंगूठा लगाती हैं 107 (96.39%) महिला सरपंचों का कहना है कोई अन्य भी हस्ताक्षर या अंगूठा लगा देता है। आपके स्थान पर कोई और हस्ताक्षर करता या अंगूठा लगता

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

है, तो कौन? इस प्रश्न पर महिला सरपंचों द्वारा पति, पिता, पुत्र, उप सरपंच, सचिव आदि का नाम बताया गया। अधिकांश निरक्षर महिला सरपंचो का रोना है कि अधिकारी यह कहते है कि सरपंचों को कई अधिकार नहीं है और वे कागजात (विड्राल, चेक) पर उनका अंगूठा समय समय पर लगवाते रहते है।

***उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से मेरी परिकल्पना कि पंचायत के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अंगूठा लगाने का कार्य भी अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना सरपंचों की जानकारी के किया जाता होगा, सही साबित हो**ता **है।**

बस्तर जिले के महिला सरपंचों के साक्षात्कार एवं ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण में यह पाया (92%) गया कि अधिकांश महिला सरपंचों को पंचायत की बैठक संचालन में उनके घर के पुरुष सदस्यों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाता है। स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली महिला सरपंचों की संख्या न्यून है। अधिकांश महिला सरपंचो में राजनीतिक चेतना एवं जागरुकता का अभाव है। जहाँ तक इन महिला सरपंचों की पंचायत संचालन में भागीदारी का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि परिवार के पुरुष सदस्यों के सहयोग (अधिकांश जगहों पर) के आधार पर ही ये पंचायत का संचालन करती है, स्वतंत्र कार्य करने का अवसर नहीं मिलने से इनकी प्रतिमाएँ अभी सामने आने से बची हुई हैं। महिला सरपंचों ने पंचायत संचालन में पुरुष उप सरपंचों, पंचों, पंचायत सचिवों के क्रियाकलापों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है और पंचायत की बैठकों में उनकी बातों को महत्व नहीं दिये जाने की शिकायत की है। महिला सरपंचो द्वारा स्थानीय महत्व के कार्यों जैसे सड़क निर्माण, हैंडपंप निर्माण व मरम्मत, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्र, अवासहीन लोगों को पट्टे का वितरण, स्कूल की चाहारदीवारी का निर्माण, तालाबों का गहरीकरण एवं सफाई आदि कार्यों में आंशिक रूप से सफलता पाई गई है। परन्तु मुख्य बात यही है कि एक तिहाई महिला सरपंच ऐसी है जो स्वविवेक से निर्णय लेने में अहम है।

बस्तर जिले के महिला सरपंचों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है एवं अधिकारी वर्ग द्वारा सहयोग के अभाव के कारण राजनीति में उनकी सहभागिता भी न्यून है। महिला सरपंचों की बैठकों में भागीदारी उनकी आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के इस सुदर वन क्षेत्र के महिला सरपंचों में का अधिकांश (**91**) आदिवासी महिला सरपंच कृषि एवं उससे जुड़े अन्य प्राथमिक व्यवसायों विशेष रूप से मुर्गी पालन, वनोपज संग्रह, सुअर पालन, बकरी पालन, पशुपालन, बांस के बर्तन एवं टोकरी निर्माण एवं मछली पालन में संलग्न है। अतः उनकी प्राथमिकता पहले अपने एवं अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना है, उसके उपरांत जो समय बचता है, उसमें वो ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए समय देती है। जो महिला सरपंच आर्थिक रूप से समर्थ हैं, उनकी बैठक में भागीदारी का प्रतिशत अधिक है। पूरे भारत की तरह बस्तर जिले में भी पंचायती राज के क्षेत्र में 'एस.पी.' (सरपंच पति द्वारा महिला सरपंच के नाम पर पंचायत का संचालन करना) अवधारणा का चलन है। वास्तव में महिला सरपंच का उतना सम्मान स्थानीय

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 12, S Iss 1, 2023

समाज में नहीं होता जीतना उक्त 'एस.पी.' ही ग्रामीण क्षेत्र में सम्मान, रुतबा प्राप्त करते है। सरपंच पति ही हर प्रकार के सम्मान, सुविधा एवं अवसरों का उपभोग करता है।

अध्ययन के दौरान यह बात भी सामने आई कि निरक्षर सरपंच एवं जिन महिला सरपंच के घर के पुरुष सदस्य निरक्षर है, अधिकारी उन्हें महत्व नहीं देते व आसानी से उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। अनेक ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों द्वारा मनमानी की जा रही है। महिला सरपंचों के महिला होने एवं न्यून शिक्षा की वजह से वहाँ के पंचायत सचिवों द्वारा समस्त शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है और जिसे पंचायत के अन्य सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है, अतः इन परिस्थितियों में भी महिला सरपंचों की पंचायत बैठकों में भूमिका कम हो जाती है। परन्तु यह परिस्थिति अब हर जगह नहीं हैं, जिन महिला सरपंचों के घरों के पुरुष सदस्य पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि रह चुके है, उन्हें इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। स्थानीय स्तर के प्रशासन में उनकी पकड़ भले ही न सही, पर अपने ग्राम पंचायत की मांगों के संबंध में खुलकर बैठकों में बात कर लेती है।

समस्याएं - बस्तर जिले के ग्राम पंचायतों के संचालन में अल्प शिक्षित एवं कम जागरूक महिला आदिवासी सरपंचों के सामने निम्न चुनौतियां आती है -

1. अधिकांश महिला सरपंचों में को राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है और किसी महिला सरपंच ने महिला उनके अधिकारों की रक्षा बनाए गए किसी कानून का नाम तक नहीं सुना है।
2. आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी महिला सरपंचों की निम्न शैक्षणिक आर्थिक स्थिति के कारण आत्मनिर्भरता की कमी है।
3. महिला आदिवासी महिला सरपंचों पर संपन्न वर्ग के व्यक्तियों का दबाव पाया जाता है।
4. अधिकांश ग्राम पंचायत संबंधी कार्य महिला आदिवासी महिला सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।
5. महिला की उपस्थिति पंचायत में 50% आरक्षण की मजबूरी है यदि आरक्षण नहीं होता तो शायद महिलाओं पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नाम मात्र की होती।
6. अधिकांश महिला सरपंच प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न एवं निम्न आय कारण वे अपने रोजी-रोटी की समस्या से जुड़ी रहती हैं और समय मिलने पर ग्राम पंचायत के कार्यों पर ध्यान देती हैं।
7. राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एवं प्रशासनिक सहयोग की कमी भी ग्राम पंचायत की महिला आदिवासी सरपंचों के सामने चुनौती के रूप में आती है।
8. अल्प शिक्षा एवं निरक्षरता के कारण अधिकांश महिलाओं महिला सरपंच ग्राम पंचायत के तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं को समझने में असमर्थ होते हैं ।

9. अधिकांश महिला सरपंच पहली बार ही सरपंच बनी है अतः उनका राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव शून्य है।

सुझाव - पंचायत संचालन में महिला सरपंचों के सामने उपस्थित चुनौतियां के समाधान हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. बस्तर जिले के आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर ही उनके भाषा एवं बोली में पंचायत संबंधी आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।
2. महिला महिला सशक्तिकरण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर बस्तर जिले में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
3. आर्थिक स्वालंबन के बिना महिलाओं की राजनीतिक सफलता कोरी कल्पना है। महिलाओं की कमजोर स्थिति का मुख्य कारण उनकी पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता है अतः महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वालंबी को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
4. महिला प्रतिनिधियों को पुरुष प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पंचायत संचालन के कार्यों के लिए अधिक समय दे पाए।

निष्कर्ष - इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता अभी तक मुख्य रूप से पुरुषों एवं सम्पन्न वर्ग के हाथों रही है। अब 73 वे संशोधन के उपरांत महिलाओं को ग्रामीण विकास के निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होने का अवसर मिला है, लेकिन अशिक्षा, सामाजिक कलह आदि के कारणों से पंचायत संचालन में महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो सकी है। आज प्रोक्सी उसका पति ही होता है। पंचायत की बैठकों तक में महिला सरपंच की बगल उसके पति या घर के पुरुष सदस्य की कुर्सी लगती है व महिला सरपंच का उपयोग रबर स्टैम्प की तरह कर लिया जाता है। ग्रामीण समाज में यह धारणा बन रही है कि महिला सरपंच की व्यवस्था निरर्थक है। उनका रिमोट कंट्रोल सदैव उनके घर के पुरुष सदस्यों के पास होता है। वे वो ही करेंगी जो उनके पुरुष सदस्य चाहेंगे। अतः वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका के लिए आवश्यक है कि महिला सरपंचों (विशेषरूप से अधिसूचित क्षेत्रों की) की शक्तियों में वृद्धि का अलग से प्रावधान हो। अनेक विसंगतियों को समाप्त किया जाये, पुरुष प्रधान समाज रुदि-परम्परा से मुक्त होकर विकास के कार्य में महिला प्रतिनिधियों को सहयोग प्रदान करे तभी पंचायती राज व्यवस्था फलफूल पायेगी। बस्तर जिले की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सरपंचों की भूमिका संतोषजनक मले ही न हो पर धीरे धीरे उनकी महत्त्वाकांक्षा में वृद्धि हो रही है और इस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिला आरक्षण की सुविधा से उनकी भागीदारी में दिनोंदिन बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।

संदर्भ

(1) 73 वाँ संविधान संशोधन, 1993 |

(2) 'पाँचवी अनुसूची', 'भारतीय संविधान, 'भारत सरकार, विधि एवं न्याय विभाग, नई दिल्ली, 1990 |

(3) सेठी, के.एल., 'मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम व नियम', इंदौर, डीलक्स पब्लिकेशन कम्पनी, 1996 |

(4) मिश्र, देवेन्द्र, 'पंचायती राज का संगठन एवं कार्यप्रणाली', नई दिल्ली, 1990 ।

(5) दुबे, डॉ. अवधनारायण, 'नयी पंचायत राज व्यवस्था', वाराणसी, मित्रा ट्रेडिंग, 2002 |

(6) जिला पंचायत बस्तर, में जगदलपुर से प्राप्त द्वितीयक सामाग्री ।

(7) बस्तर जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2017,तालिका 2.3. , Bastar district census https://www.census2011.co.in/census/district/499-bastar.html

(8) आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट https://tribal.cg.gov.in/ ।

(9) नई दुनिया, जांजगीर-चांपा संस्करण 27 दिसंबर 2019 ।